

23/12-22

पत्रावली पेश हुई।

ककील काही गण रंग रंग्य वादीगण
में से कोई उपस्थित नहीं।

प्रकरण दिनांक - 2-12-2019 से
वादी साह्य में चल रहा है।

बार-बार अवसर देने के बावजूद उनके
द्वारा साह्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

आज अदालत समय में रुक-रुक
कर तीन बार आवाजे दिलवाये जाने
से अदालत उठने से पूर्व पुनः अवसर
दिलवाये जाने के बावजूद वादीगण एवं
उनके आग्निभाषक में से किसी के उपस्थित
नहीं होने पर वाद अदम पेंरवी एवं अदम
हजरी में खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल
दफ़्तर है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

